संख्या-397/18-4-2023-18(विविध)/17टी0सी0-।।

प्रेषक,

दयाराम यादव,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उ0प्र0
कानपुर।

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 19मई,2023

विषय- वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-3 के अंतर्गत एक जनपद एक उत्पाद योजना के उपमद योजना संबंधी अन्य व्यय के क्रियान्वयन हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, (ओ0डी0ओ0पी0 प्रकोष्ठ) उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-39/ओ0डी0ओ0पी0बजट/2023-24, दिनांक 24-04-2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्यय में अनुदान संख्या-3 के अंतर्गत एक जनपद एक उत्पाद योजनान्तर्गत उपमद योजना संबंधी अन्य व्यय के क्रियान्वयन हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 10000.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि अर्थात रू0 5000.00 लाख रू0 (रू0 पचास करोड़ मात्र) निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग तत्कालिक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का अन्य मद में व्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य न होगा। आंकडों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण करने के पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत योजना/कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

3. प्रश्नगत योजना मदों पर स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय करने के पूर्व संगत प्रक्रियाओं यथा-टेण्डर आदि का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

4. योजनान्तर्गत विभिन्न मदों पर व्यय की फेजिंग की जायेगी तथा तद्नुसार वास्तविक तत्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही धनराशि का आहरण किया जायेगा। एकमुश्त धनराशि का आहरण नहीं किया जायेगा।

5. योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाता में जमा नहीं किया जायेगा तथा शासकीय व्यय मितव्ययिता संबंधी वित्त विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये शासनादेशों में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन कडाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

6. उपरोक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष होने वाले व्यय का नियंत्रण, वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 6 जून,1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्यतिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य मानको (स्टेण्डर्डस ऑफ फाईन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

8. उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के सम्बंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सुसंगत शासनादेशों में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा तथा एक जनपद एक उत्पाद योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु उक्त धनराशि व्यय किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

9. स्वीकृत धनराशि का मदवार मासिक व्यय विवरण शासन के विशेष सचिव वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग उ0प्र0 शासन को प्रपत्र बी-एम-13 में पूर्णतया भरकर उपलब्ध कराया जायेगा।

10. स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-1 एवं 2 उ0प्र0 प्रयागराज/लखनऊ तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग उ0प्र0 शासन को धनराशि व्यय किये जाने के एक माह के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

11. उक्तानुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि से सामग्री उपकरण आदि के क्रय हेतु सामग्री क्रय के संबंध में समय समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- उक्त कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-3 के अधीन लेखाशीर्षक-"2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-102-लघु उद्योग-30-एक जनपद एक उत्पाद योजना -02-योजना संबंधी अन्य व्यय-42-अन्य व्यय" (लेखाशीर्षक 15 अंकों में 2851-00-102-30-03-42) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अंतर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

संख्या-397(1)/18-4-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज/लखनऊ ।

2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज/लखनऊ ।

3-महालेखाकार (लेखा-परीक्षा-।)सी0ए0एस0एस0-3/टी0डी0ए0 कोआर्डिनेशन, उ0प्र0 प्रयागराज/लखनऊ।

4- कोषाधिकारी, कानपुर/लखनऊ ।

5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ ।

6- आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, ओ0डी0ओ0पी0 प्रकोष्ठ उ0प्र0, लखनऊ ।

7- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 उद्योग निदेशालय, कानपुर/लखनऊ।

8-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनु0-1, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनु0-3

9-संयुक्त सचिव(श्री अनमोल सिंह) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन को ऑनलाइन बजट एलाटमेण्ट सिस्टम में प्रविष्टि हेतु ।

10-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दयाराम यादव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।